

2021/34

‘प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021’

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान 14 APD

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 3JM व भू.अ.
निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार, अनूपगढ़ की अनुशंषा के आधार पर
राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुशरण में ग्राम 5JM
जिला की जमाबंदी सम्वत् में खाता संख्या 33 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश
दिये जाते हैं-

| क्र.सं. | ग्राम पंचायत | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1. | भूमिदा | 33 | शैकालाल 510 भूमिदा | शैकालाल 310 भूमिदा (शैकालाल) |

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़

दिनांक- 2.4.22

क्रमांक:- 444

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, अनूपगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शैकालाल 510 भूमिदा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़